प्रशासन गावों के संग अभियान 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर ज़िला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी- सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
84/2019	21.06.2019	01.12.2021

अनवान

मांगीलाल पिता गुलाब जी ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

---वादी

।। बनाम।।

1. घीसीबाई पुत्री नारायण ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. पुष्पा पुत्री नारायण ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. राधेश्याम मुतबन्ना चम्पालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. पारू पिता चम्पालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. चुन्नी बाई बेवा गुलाब ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. शंकरलाल पिता उंकार ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी नपानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
7. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादसोडा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा भादसोडा
8. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर

---प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अंतर्गत धारा 88,89,188 राज0काश्त0अधिनियम</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:37 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत वाद के संक्षिप्त [illegible] वादी ने अंतर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 [illegible] वाद पत्र इस आ[illegible]का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवदीगण की [illegible]युक्त खातेदारी एवं [illegible]ग उपभोग की कृषि भूमि मौजा ग्राम नपानिया प0ह0 नपानिया तहसील

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

देसर की खाता सं. 188 पर दर्ज आराजी नं. 661 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आ0नं0 778 रकबा 0.23 हैक्टेयर,आ0नं0 1143 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.45 हैक्टेयर एवं खाता सं. 189 पर दर्ज आराजी नं. 244 रकबा 0.33 हैक्टेयर, आ0नं0 251 रकबा 0.53 हैक्टेयर, आराजी नं. 254 रकबा 0.22 हैक्टेयर, आ0न0 340 रकबा 0.57 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 663/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ0नं0 772मी रकबा 0.10 हैक्टेयर, आ0नं0 782 रकबा 0.48 हैक्टेयर, आ0नं0 1136 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 3.09 हैक्टेयर इसी प्रकार खाता सं0 190 पर दर्ज आराजी नम्बर 339 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खाता सं. 191 पर दर्ज आ0नं0 784/1 रकबा 0.16 हैक्टेयर, आ0नं0 784 मी रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति एवं नक्शा ट्रेस संलग्न वाद पत्र है।

वादपत्र की कलम सं. 01 में वर्णित सम्पूर्ण कृषि आरजीयात संयुक्त खातेदारी होकर वादी तथा प्रतिवादी संयुक्त रूप से काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है एवं मौके पर बाहमी बंटवाडा कर रखा है।

वादी द्वारा अपने काका नारायण पिता पेमा के जीवनकाल में उनके साथ संयुक्त रूप से निवास करते हुए उनकी सेवा चाकरी की तथा पेमा को कोई जायंदा नर संतान नहीं होने से उनके द्वारा वादी को अपने साथ पुत्रवत रखा। पेमा की मृत्यु के बाद उसका विरासतीय नामांतरण उसकी पुत्री प्रतिवादी सं. 1 व 2 व मृतक पुत्रिया बदामी,भूरी व पत्नि मोहनी बाई के नाम स्वीकृत किया गया। बदामी एवं भूरी के लाऔलाद मृत्यु होने से उनके कोई वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं है तथा मोहनी द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हुए एक लिखित बही में निष्पादित कर उस पर अपने तथा अपने पंच व मौतबिरान के हस्ताक्षर करा वादी को सुपुर्द किया जिसके अनुसार मोहनीबाई ने अपने 1/4 हिस्से एवं कब्जे की कृषि आराजीयात को जीवन पर्यंत अपने पास रखने तथा मृत्यु के बाद वादी को कब्जा सुपुर्द करने का कथन किया गया है। मोहनी की हाल में ही दिनांक 31.05.2019 को मृत्यु हो जाने के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

दी सं. 01 एवं 02 द्वारा मौके पर लडाई झगडा एवं विवाद करने से मोहनीबाई के 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी से वाद पत्र खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 अपने ससुराल में रहते हुए अपने पति को सत में प्राप्त हुई कृषि आराजीयात पर उनके साथ संयुक्त रूप से बिज होकर कृषि कार्य करती चली आ रही है फिर भी प्रतिवादी सं. 01 02 के मन में बदनियति आ जाने से वे वादी को आये दिन परेशान रती रहती है तथा वादी के निरंतर एवं निर्बाध शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में नावश्यक दखल करने का प्रयास करते है। इसलिये वादी को वादग्रस्त आराजीयात में मृतक पेमा के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाना आवश्यक होने से वाद पत्र इन्द्राज दुरुस्ती पेश किया है।

वादी वर्तमान में विवादित आराजीयात के 3/4 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं शेष 1/4 राधेश्याम मुतबन्ना चम्पालाल का होकर उसी के कब्जे काश्त में चला आ रहा है। परंतु प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से उसका अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 बिना कब्जे के ही आराजीयात को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है जिससे प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह विवादित आराजीयात को किसी अन्य को रहन,बह,बक्षीस नहीं करे एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रचलित की जावे।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वादपत्र [illegible] सं. 01 में वर्णित खातेदारान मृतक नारायण [illegible] वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे [illegible] एवं 02 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे। तथा प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह विवादित आराजीयात को किसी अन्य को रहन,बह,बक्षीस नहीं करे एवं वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे ना किसी न्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीको जरिये सम्मन तलब किया या। बरोज पेशी प्रतिवादी सं. 1,2 की ओर से अधिवक्ता श्री विशाल ुमावत ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत नपानिया शिविर में प्रस्तुत हुई। वाद के समर्थन मेंवादीगणद्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. नकल जमाबन्दी मौजा नपानिया खाता सं. 188,189,190,191 संवत् 2070 से 2073
2. नकल फोटो प्रति बही की लिखा पढी
3. मृत्यु प्रमाण पत्र मोहनीबाई का

वादी द्वारा शिविर में उपस्थित होकर अपने द्वार प्रस्तुत वाद का निस्तारण करने का निवेदन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपरान्त अवलोकन किया गया, न्यायालय वादी के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है। अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कृषि आराजीयात मौजा ग्राम नपानिया प0ह0 नपानिया तहसील भदेसर की खाता सं. 188 पर दर्ज आराजी नं. 661 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आ0नं0 778 रकबा 0.23 हैक्टेयर,आ0नं0 1143 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.45 हैक्टेयर एवं खाता सं. 189 पर दर्ज आराजी नं. 244 रकबा 0.33 हैक्टेयर, आ0नं0 251 रकबा 0.53 हैक्टेयर, आराजी नं. 254 रकबा 0.22 हैक्टेयर, आ0नं0 340 रकबा 0.57 हैक्टेयर, आराजी नं. 663/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ0नं0 772मी रकबा 0.11 हैक्टेयर, आ0नं0 782 रकबा 0.48 हैक्टेयर, आ0नं0 1136 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 3.09 हैक्टेयर इसी प्रकार खाता सं0 190 पर दर्ज आराजी नम्बर 339 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खाता सं. 191 पर दर्ज आ0नं0 784/1 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:37 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

.16 हैक्टेयर, आ0नं0 784 मी रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि में मृतक खातेदार नारायण पिता पेमा के नहित हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तिवादी सं. 01 एवं 02 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे ना हि आराजीयात को किसी प्रकार से हस्तांतरित न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो।

निर्णय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
पादेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner